

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दां0प्र0क0-185 / 10
संस्था0दि0 25 / 03 / 10

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन

—: विरुद्ध :-

- 1— दिनेश पिता सन्सु, उम्र 28 वर्ष,
 - 2— सुखदेव पिता कल्लु, उम्र 30 वर्ष,
 - 3— मंजू पिता सम्पत्त, उम्र 28 वर्ष,
- उक्त तीनों—जाति गोंड, पेशा मजदूरी,
 ग्राम कन्हड़गांव, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

----- अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 30 / 07 / 2016 को घोषित)

1— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 325 / 34 के तहत अभियोग है कि दिनांक 11 / 03 / 10 को 15:00 बजे सह अभियुक्तगण के साथ निर्मित सामान्य आशय के अग्रशरण में आप अभियुक्तगण ने फरियादी जुगलकिशोर की ग्राम कन्हड़गांव में राजू हारोड़े के मकान के पास मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

2— अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने चौकी हाजिर आकर जबानी रिपोर्ट किया कि कल दोपहर 3 बजे करीबन वह खाना राजू हारोड़े ठेकेदार के यहां गया था वह पहुँचा, तब पंगत चल रही थी तब वह और सुकु चाचा कुर्सी पर बैठ गये उसी समय दिनेश, सुखदेव, मंजू उसके पास आ गये और बिना कारण चेंगड़ करने लगे, सुखदेव बोला तू हम को चमकाने आया है तब उसने बोला हमको क्यों ठांस रहा है दिनेश बोला तू ज्यादा बनता है और एक दम से तीनों ने लाठी से उसके साथ मारपीट किया जिससे उसके पीठ एवं बांये हाथ पर चोट आई गवाह सुकु, शिवचरण ने बीच बचाव किया था। रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जावे।

3— फरियादी की जबानी रिपोर्ट रोजनामचा सान्हा क्रं 20 पर लेख की गई जो प्र० पी० 09 है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र० पी० 10 है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अप० क्रं०-60/10 कायम कर अभियुक्तगण के विरुद्ध भा० दं० वि० धारा-325/34 तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 17.03.10 को नक्शा मौका प्र० पी० 1 तैयार किया गया। आहत का मेडिकल मुलाहिजा किया गया है। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। दिनांक 18/03/10 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र० पी० 04,05,06 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4— अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किया गया, अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में बताया कि वे निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया। किन्तु प्रकरण में बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

5— : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1— “क्या दिनांक 11/03/10 को 15:00 बजे सह अभियुक्तगण के साथ निर्मित सामान्य आशय के अग्रशरण में आप अभियुक्तगण ने फरियादी जुगलकिशोर की ग्राम कन्हड़गांव में राजू हारोड़े के मकान के पास मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-
विचारणीय प्रश्न क० 1 का निराकरण

6— अभियोजन साक्षी डॉ० एन० के० रोहित (अ.सा.03) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 02/03/10 को उसने जुगलकिशोर पिता कुन्दन, उम्र 48 वर्ष, जाति गोंड नि० कन्हड़गांव का परीक्षण किया था जिसे बांयी अग्र भुजा पर एवं कोहनी के जोड़ पर 7 गुणित 4 से०मी० आकार की सूजन एवं दर्द पाया था। उक्त चोट के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। चोट नं० 2— पीठ के पीछे तरफ 7 गुणित 3 से०मी०, 5 गुणित 2 से०मी०, 4 गुणित 2 से०मी० एवं 2 गुणित 3 से०मी० आकार के कंटुजन पाये गये। इस चोट के लिये उसने एक्सरे की सलाह दी थी। दोनों चोटे कड़े एवं बोथर हथियार से 24 घंटे के अंदर पहुँचाई गई। उसकी रिपोर्ट प्र० पी० 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह के द्वारा आहत जुगल किशोर के शरीर में पाई गई चोटों को स्पष्ट रूप से अपनी साक्ष्य में बताया है जिसे बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षा में आहत जुगल किशोर के शरीर में पाई गई, चोटों को प्रश्नगत नहीं किया गया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से स्पष्ट है कि घटना दिनांक को आहत के शरीर में चोटें थी।

7— अभियोजन साक्षी ओ०पी० यादव (अ०सा०५) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आहत जुगलकिशोर पिता कुंदन, उम्र 40 वर्ष, नि० कन्हडगांव को बांयी अग्र भुजा और कोहनी के लिए भेजा था जिसका एक्सरे प्लेट क्रं. 1061 है। एक्सरे में बांयी अलना हड्डी टूटी हुयी थी। एक्सरे रिपोर्ट प्र०पी० ०८ है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह के द्वारा आहत जुगलकिशोर के बांयी अलना हड्डी टूटी हुयी थी, स्पष्ट रूप से अपनी साक्ष्य में बताया है। जिसे बचाव पक्ष की ओर से प्रश्नगत नहीं किया गया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि जुगलकिशोर के बांयी अलना हड्डी पर अस्थि भंग होकर घोर उपहति कारित हुई।

8— न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से यह विचारणीय है कि क्या अभियुक्तगणों के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में आहत जुगलकिशोर को लकड़ी से मारपीट कर घोर उपहति कारित की गई।

9— अभियोजन साक्षी जुगलकिशोर (अ०सा०१) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपी सुखदेव आया और उसे बोला कि खड़ा है आप कौन है आप यहां चमकाने आया है क्या? तो उसने कहा कि वह चमकाने नहीं आया है उसे सुकू मर्सकोले ने लेकर आया है। उसने उसकी शर्ट फाड़ दिया फिर धक्का मुक्की होने लगी तभी आरोपी मंजू, संजू, दिनेश उसके साथ मारपीट करना चालु कर दिये। आरोपी दिनेश ने उसका गला पकड़ लिया था आरोपी सुखदेव ने बांये हाथ पर लाठी मार दिया जिससे उसका बांया हाथ टूट गया। मारपीट से उसके बांये हाथ और गले में चोट आई थी। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

10— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि राजु हारोड़े के मकान के सामने कुर्सी पर बैठे थे वे लोग भी नशे में थे और वहां अंदर 10-12 लोग खाना नहीं खा रहे थे वे लोग भी नशे में थे। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि वे 10-12 लोग वहां से निकले और खड़े होकर गाली गलौच करने लगे। आगे इस गवाह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि 10-12 लोगों में से किसने काहे से मारा उसे नहीं मालूम और मारने वाले उन 10-12 व्यक्तियों के नाम भी नहीं मालूम। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी दिनेश, सुखदेव और मंजू को इसलिए जानता है कि वे लोग उसके ही गांव के निवासी हैं। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि फरियादी के साथ 10-12 लोगों ने मारपीट की और जिन व्यक्तियों ने उसे मारपीट की उनके नाम भी उसे नहीं मालूम।

11— अभियुक्तगण के नाम यह गवाह इसलिए जानता है क्योंकि वे उसके गांव के हैं। अर्थात् यह गवाह उसके गांव के हैं इसलिए ही उनके नाम जानता है। फरियादी 10-12 लोगों के द्वारा मारना प्रतिपरीक्षा में बताया है और न्यायालय के समक्ष मंजू, संजू, दिनेश के द्वारा मारपीट करना बताया है। ऐसी परिस्थिति में यह तथ्य सूक्ष्मता रूप से विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या वास्तविक रूप से

अभियुक्तगण के द्वारा ही मारपीट की गई है।

12— किन्तु जहां पर यह गवाह 10-12 लोगों के द्वारा उसे मारपीट करना और किस अभियुक्त के द्वारा क्या मारा गया, उसे नहीं मालूम। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय किसी भी व्यक्ति का संभावना के आधार पर दोषी माना जाना संभव नहीं है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार सौ दोषी व्यक्ति दोषमुक्त हो जाये किन्तु एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए, उक्त सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुये यह तथ्य को विश्वास किया जाना कि अभियुक्त मंजू, संजू, दिनेश के द्वारा ही लाठी मारने का तथ्य या सामान्य आशय के अग्रशरण में लाठी से मारपीट करने के तथ्य विश्वसनीय नहीं माने जा सकते।

13— अभियोजन साक्षी शिवचरण (अ0सा02), राजू (अ0सा04) ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्नों से घटना घटित होने तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

14— अभियोजन साक्षी निर्भय सिंह (अ.सा.06) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 02/03/16 को प्रार्थी जुगलकिशोर द्वारा पुलिस थाने में आकर आरोपी दिनेश, सुखदेव एवं मंजू के विरुद्ध मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराने उसने उसकी रिपोर्ट रोजनामचा सान्हा क्रं. 20/02/03/10 में दर्ज किया था। रोजनामचा सान्हा प्र0पी0 9 है। दिनांक 17/03/10 को प्रार्थी जुगलकिशोर की एकसरे रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिसमें फेक्चर होना पाया गया था। उसने आरोपी दिनेश, सुखदेव, मंजू के विरुद्ध अपराध क्रं. 60/10 अंतर्गत धारा 325, 34 भा0द0वि0 का अपराध दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 10 लेख किया जिसके ए से ए भाग एवं बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 17/03/10 को घटना स्थल पर जाकर प्रार्थी जुगलकिशोर की निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0 1 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने दिनांक 18/03/10 को गवाहों के समक्ष आरोपी दिनेश, सुखदेव एवं मंजू को गिर0 कर गिर0 पंचनामा प्र0पी0 4 लगायत 06 तैयार किया था जिसके बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान प्रार्थी जुगलकिशोर, सुक्कू, शिवचरण एवं राजू के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था जिसमें अपने मन से कुछ जोड़ा या छोड़ा नहीं था। यह गवाह विवेचना अधिकारी है। घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। स्वयं फरियादी साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण के द्वारा ही फरियादी की मारपीट की गई है। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह के द्वारा की गई कार्यवाही संदेहास्पद होकर विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

15— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि सह अभियुक्तगण के साथ निर्मित सामान्य आशय के अग्रशरण में आप अभियुक्तगण ने फरियादी जुगलकिशोर की ग्राम कन्हड़गांव में राजू हारोड़े के मकान के पास मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

16— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि सह अभियुक्तगण के साथ निर्मित सामान्य आशय के अग्रशरण में आप अभियुक्तगण ने फरियादी जुगलकिशोर की ग्राम कन्हड़गांव में राजू हारोड़े के मकान के पास मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। इस प्रकार भाद०वि० की धारा 325/34 का आरोप प्रमाणित न पाये जाने से उक्त अपराध में अभियुक्तगण दिनेश, सुखदेव, मंजू को दोषमुक्त किया जाता है।

17— प्रकरण में आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त हो। अभियुक्तगण का धारा 428 द०प्र०स० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

18— प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०